

प्रकाश-चन्द 115 ग्राम पंचायत रामपुर धावाई

<p>तारीख हुकम मु. नं. 3/18 16/5/18</p>	<p>क्रि. नं. - अपील नं. 486 ग्राम-रामपुर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व लोक अदालत अभियान स्थाय आपके द्वार - 20.8. ता. 02.16.5/18 ता. 05.16.5/18</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
--	---	---

16/5/18

पत्रावली आज दिनांक 16/5/18 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार मय रामपुर धावाई पर पेश हुई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्र की जाकर रेसपोडेन्ट के डैम पर ही तलव किया गया अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट उपस्थित। अपील अपीलान्ट पर उभय पक्ष को सुना जाकर पटवारी हल्का रामपुर व गिरडावर हल्का गुनेसरा व तहसीलदार करौली से रिपोर्ट तलव की गई। अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व नकल नं. 486 दिनांक 28/9/96 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अंक नालिका माधुशिरा कोड राजस्वान सं. 1993 व राशन कार्ड एवं आधार कार्ड परियप पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्ट का नाम प्रवाश पुत्र चिरंजी माली अंकित है। पटवारी हल्का व गिरडावर हल्का व तहसीलदार करौली द्वारा भी अपीलान्ट का नाम प्रकाश-चन्द पुत्र चिरंजी संशोधन किये जानेकी अनिश्चय की है। नं. 486 ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा दिनांक 28-9-96 को निर्गत किया गया है। जिसमें अपीलान्ट का नाम विना जीय दर्ज किया गया। अतः अपील अपीलान्ट समक्ष विवेचन से स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली को नं. 486 दिनांक 28/9/96 ग्राम रामपुर तहसील करौली में अपीलान्ट का नाम ओम प्रकाश के स्थान पर प्रकाश चन्द पुत्र चिरंजी

रामसिंह  
रामसिंह माली  
सरपंच  
ग्राम पंचायत रामपुर धावाई  
पंचायत कार्यालय करौली

पर ही तलव किया गया अपीलान्त व रेस्पोंडेंट  
 उपस्थित। अपील अपीलान्त पर उभय पक्ष  
 को सुना जाकर पटवारी हल्का रामपुर व  
 गिरडावर हल्का गुनेसरा व तहसीलदार  
 करौली से रिपोर्ट तलव की गई। अपील  
 के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व नकल  
 नामा सं. 486 दिनांक 28/9/96 का इन्वेलोप  
 किया गया। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज  
 अंक नालिका मा. शिवा के. डी. राजस्वान सन  
 1993 व राशन कार्ड एवं आधार कार्ड परिय  
 पत्र का इन्वेलोप किया गया। जिसमें अपीलान्त  
 का नाम प्रकाश पुत्र चिरेजी माली डी. फि. है।  
 पटवारी हल्का व गिरडावर हल्का व तहसीलदार  
 करौली द्वारा भी अपीलान्त का नाम प्रकाश  
 चन्द पुत्र चिरेजी संशोधन किये जानेकी  
 अभिशोषा की है। नामा सं. 486 ग्राम जयपल  
 रामपुर द्वारा दिनांक 28.9.96 को निर्गत किया  
 गया है। जिसमें अपीलान्त का नाम विना जीय दर्ज  
 किया गया। अतः अपील अपीलान्त समक्ष विवेचन  
 से स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्त  
 स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली को  
 नामा सं. 486 दिनांक 28/9/96 ग्राम रामपुर  
 तहसील करौली में अपीलान्त का नाम ओम  
 प्रकाश के स्थान पर प्रकाश चन्द पुत्र चिरेजी  
 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
 निर्णय की प्रति तहसीलदार करौली को फालगुनी  
 भेजी जावे। पत्रावली फैलल धुमार होकर  
 गम्बर से कम होकर दारिद्र्य दफ्तर हो।

रामपुर  
 ग्राम पंचायत रामपुर  
 पं० सं० करौली  
 धाराई  
 करौली

वेंच संदस्य  
 (मिलान संदस्य)

18.  
 अधिकारी

1604  
 22-11-18